FAX: 0512-2570006
Web: www.kanpuruniversity.org

OFF. RESI.
V.C. : 2570450 2570263
REGI.: 2570301 2570882

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

कल्यानपुर, कानपुर
KALYANPUR, KANPUR

सन्दर्भ सं0: सी.एस.जे.एम.वि.वि./सम्ब०/ अनापत्ति/ 85 /2015

दिनांक: 20/02/2015

अनापत्ति

शासनादेश सं0–2103/सत्तर–2–2012–2(166)/2012 दिनांक 09.08.2012 के अन्तर्गत गठित समिति द्वारा शासनादेश संख्या–1963/सत्तर–2–2013–16(165)/2012 टीसी दिनांक 11.12.2013 तथा शासनादेश संख्या–208/सत्तर–2–2013–2(165)/2012 टीसी दिनांक 31.03.2014 के क्रम में लिये गये निर्णय दिनांक 23.02.2015 के अन्तर्गत संचालक सोसाइटी पं0 बेटा लाल लक्ष्मीनारायण शिक्षा प्रसार समिति, ग्राम राहतपुर पो0 व जिला औरैया द्वारा **प्रस्तावित पं0 बेटालाल लक्ष्मी नारायण महाविद्यालय, जौंरा रोड, राहतपुर, सुरान, औरैया** को **स्नातक स्तर पर कला संकाय** के अन्तर्गत हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, शिक्षाशास्त्र, समाजशास्त्र, भूगोल, राजनीतिशास्त्र व गृह विज्ञान विषय एवं **विज्ञान संकाय** के अन्तर्गत भौतिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान एवं गणित विषय में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों/अभिलेखों के कार्यालयी परीक्षण एवं शासनादेश 09.08.2012 के क्रम में नामित सदस्य, अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) औरैया (जिलाधिकारी के नामित सदस्य) के भूमि सम्बन्धी राजस्व अभिलेखों की परीक्षण रिपोर्ट/संस्तुति पत्रांकः– 453/डीएलआरसी–महा0विद्या0–भूमि जांच–2014–15, दिनांक–13.02.2015 के आधार पर शिक्षण कार्य प्रारम्भ करने हेतु निम्नलिखित शर्तो के अधीन अनापत्ति प्रदान की जाती है।

1. पाठ्यक्रम का संचालन अनापत्ति हेतु उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव में दर्शाई गई ग्राम राहतपुर, परगना व तहसील– औरैया, जिला औरैया स्थित गाटा संख्याः 128/0.705हे0, 130/0.3195हे0 कुल 1.0245हे0 पर निर्मित भवन में ही किया जाएगा। अन्य भूखण्ड या स्थान पर संचालित किये जाने की स्थिति में यह अनापत्ति स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
2. यह अनापत्ति समिति के नामित सदस्य, अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) औरैया (जिलाधिकारी के नामित सदस्य) की भूमि सम्बन्धी राजस्व अभिलेखों की परीक्षण रिपोर्ट/संस्तुति दिनांकः 13.02.2015 के आधार पर निर्गत की जा रही है तथापि महाविद्यालय के नाम भूमि के विधितः अंकित होने एवं भूमि/गाटों की संयुक्तता आदि में विसंगति की स्थिति में समस्त उत्तरदायित्व महाविद्यालय का होगा।
3. उक्त पाठ्यक्रम में सम्बद्धता की स्वीकृति तभी दी जाएगी जब संस्था शासनादेश सं0–3075/सत्तर–2–2002–2(166)/2002 दिनांक 27.06.2014 एवं समय–समय पर जारी तत्सम्बन्धी शासनादेशों में विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार सभी आवश्यकताओं एवं औपचारिकताओं को पूर्ण कर लेगी।
4. विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त होने के पश्चात ही उक्त पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया जाएगा। विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त किये बिना सम्बन्धित पाठ्यक्रम में प्रवेश की कार्यवाही कदापि प्रारम्भ नहीं की जाएगी। **सम्बद्धता पूर्व भूमि बटवारे की कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।**
5. उक्त संस्था भविष्य में भूमि, भवन अथवा अन्य किसी प्रकार की वित्तीय सहायता के लिए न तो विश्वविद्यालय एवं न ही राज्य सरकार से मांग करेगी और न ही उसके द्वारा किये गये किसी कार्य के कारण उत्पन्न हुई देनदारी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार की होगी।
6. पाठ्यक्रम के संचालन पर पड़ने वाला समस्त व्ययभार संस्था द्वारा वहन किया जाएगा। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय या राज्य सरकार से किसी प्रकार सहायता/राजसहायता की मांग नहीं की जाएगी।
7. संस्था द्वारा प्रस्तुत अनापत्ति आवेदन पत्र की प्रविष्टियों में भविष्य में यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था का होगा और अनापत्ति स्वतः निरस्त समझी जाएगी।
8. शासनादेश सं02103/सत्तर–2–2012–2(166)/2012 दिनांक 09.08.2012 के अन्तर्गत प्राप्त सम्बद्धता पर प्रस्ताव विश्वविद्यालय द्वारा इस शर्त को सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रचलित वर्ष के 31 दिसम्बर के पश्चात प्राप्त होने वाले अनापत्ति/निर्बाधन (क्लीयरेन्स) प्रस्ताव पर सम्बद्धता की पूर्वानुमति अगले शिक्षण सत्र के अनुगामी शिक्षण सत्र से देय होगी।

यह अनापत्ति संस्था द्वारा प्रस्तुत वर्तमान अभिलेखों/प्रपत्रों के आधार पर प्रदान की जा रही है, यदि इसमें भविष्य में कोई परिवर्तन होता है, तो अनापत्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी एवं इसके लिए सचिव/प्रबन्धक, प्रबन्ध समिति स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(सय्यद वकार हुसैन)
कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, औरैया।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, कानपुर मण्डल, कानपुर ।
4. प्रबन्धक/सचिव, **प्रस्तावित पं0 बेटालाल लक्ष्मी नारायण महाविद्यालय, जौंरा रोड, राहतपुर, सुरान, औरैया ।**
5. निजी सचिव कुलपति, मा० कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
6. गार्ड फाइल।

(सय्यद वकार हुसैन)
कुलसचिव

Scanned with OKEN Scanner